(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(10)/LA-2015/ cons2law/ 102-111 Dated 7th July, 2015

NOTIFICATION

NO. F.14(10)/LA-2015/ cons2law/ -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 03rd July, 2015 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.2) ACT, 2015
(DELHI ACT 04 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 30th June, 2015)

[03rd July, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2015.

issue of Rs.41129,00,00,000/-from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there maybe paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule, amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 5 of the Schedule to the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2015*] to the sum of rupees Forty one thousand one hundred twenty nine crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

*Bill No. 2 of 2015

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

	SUMS NOT EXCEEDING				
Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1	Legislature	Revenue	172000	7600	179600
2	General Administration	Revenue	7897883	128700	8026583
3	Administrative of Justice	Revenue Capital	6687150 10000	1920950 00	8608100 10000
4	Finance	Revenue Capital	2929150 128500	50 00	2929200 128500
5	Home	Revenue Capital	4359811 243300	5000 00	4364811 243300
6	Education	Revenue Capital	68028700 7229550	3150 00	68031850 7229550
7	Medical and Public Health	Revenue Capital	37687670 1641680	9450 00	37697120 1641680
8	Social Welfare	Revenue Capital	37679600 14939300	00 0	37679600 14939300
9	Industries	Revenue Capital	2490200 362700	500 00	2490700 362700
10	Development	Revenue Capital	19556566 5684600	3340 500	19559906 5685100
11	Urban Development and Public Works	Revenue Capital	80925400 59352200	600 00	80926000 59352200
PD	Public Debt.	Revenue Capital	00 00	32277400 17651800	32277400 17651800
12	Loans	Capital	25000	00	25000
13	Pension	Revenue	1250000	00	1250000
	Total		**359280960**	**52009040**	**411290000**

(Vikrant Vaid)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(10)/एलए–2015/ cons2law/ /02-111/ दिनांक 07जुलाई, 2015

अधिसूचना

सं० फा० 14(10)/एलए–2015/ cons2law/ .– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 03 जुलाई, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली विनियोग (संख्या 2 अधिनियम, 2015
(2015 का दिल्ली अधिनियम 04)

(30 जून, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[03 जुलाई, 2015]

वर्ष 2015–16 से संबंधित कार्यो के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2015 है।

41129,00,00,000/– रुपयों का वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए इकतालीस हजार एक सौ उनतीस करोड रुपयों की कुलराशि [दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015* की अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट राशि को जोडकर] के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2015–2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

*2015 का बिल संख्या 2

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यो और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारो मे)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधानसभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि परभारित	योग
1	2		3	4	5
1	विधानमंडल	राजस्व	172000	7600	179600
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	7897883	128700	8026583
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	6687150	1920950	8608100
		पूंजी	10000	00	10000
4	वित्त	राजस्व	2929150	50	2929200
		पूंजी	128500	00	128500
5	गृह	राजस्व	4359811	5000	4364811
		पूंजी	243300	00	243300
6	शिक्षा	राजस्व	68028700	3150	68031850
		पूंजी	7229550	00	7229550
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	37687670	9450	37697120
		पूंजी	1641680	00	1641680
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	37679600	00	37679600
		पूंजी	14939300	00	14939300
9	उद्योग	राजस्व	2490200	500	2490700
		पूंजी	362700	00	362700
10	विकास	राजस्व	19556566	3340	19559906
		पूंजी	5684600	500	5685100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	80925400	600	80926000
		पूंजी	59352200	00	59352200
	लोक ऋण	राजस्व	00	32277400	32277400
		पूंजी	00	17651800	17651800
12	ऋण	पूंजी	25000	00	25000
13	पेंशन	राजस्व	1250000	00	1250000
	योग		**359280960**	**52009040**	**411290000**

(विकांत वैद)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)